न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 13 / 2024 तारीख रजू 28.02.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. मोहित सिंहल पुत्र बद्रीलाल सिंहल (मौके पर विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स – आपूर्ति डिपार्टमेन्टल स्टोर, वार्ड नं. 10 बाल मंदिर कोलोनी, बजरिया सवाई माधोपुर निवासी 83–ए बाल मन्दिर कोलोनी, सवाई माधोपुर।
2. अशोक कुमार सिंहल (प्रोपराईटर) मैसर्स सिंहल ब्रदर्स, 168 महाराणा प्रताप कॉलोनी बजरिया सवाई माधोपुर।
3. सीता देवी अग्रवाल पत्नी मोहन लाल (प्रोपराईटर) मैसर्स अग्रवाल एण्ड सन्स, जी–754, रोड नं. 7एफ2, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर निवासी– ए.के. टाइल्स फैक्ट्री के पास, डागा क्वॉर्टर, रानी बाजार, बीकानेर 334001
4. आलोक कुमार सिंह पुत्र शिव नारायण सिंह मैसर्स INDODEN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED, Plot no-2181, Phase-2, Sector 38, Rai Industrial Area, Sonipat, Haryana 131001 निवासी लोढियाघटा, गोंडा, उत्तर प्रदेश 211123

.....अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51,52 & 58 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक **19.07.2024**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के अन्तर्गत दिनांक 30.03.2023 को प्रातः 11.00 ए.एम. पर उक्त फर्म– आपूर्ति डिपार्टमेन्टल स्टोर, बाल मन्दिर कॉलोनी, बजरिया, सवाई माधोपुर संस्थान पर पहुँचा। संस्थान पर जो व्यक्ति उपस्थित मिला उसने अपने आपको विक्रेता एवं फर्म मालिक बताया एवं अपना नाम मोहित सिंहल पुत्र बद्रीलाल सिंहल होना बताया। आवेदक ने मोहित सिंहल को अपना परिचय पत्र दिखाया एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु घी (इण्डाना) 3 पैकेट 1–1 लीटर रखा हुआ था। उक्त घी (ईण्डाना) में गुणवत्ता / मिलावट होने का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच 1 पैकेट घी (ईण्डाना) 1 लीटर के मूल पैकेट खरीदकर उसकी कीमत 520 / – रूपये विक्रेता मोहित सिंहल को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान वेदप्रकाश पूर्विया के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदशुदा घी (ईण्डाना) 1 लीटर को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा घी (ईण्डाना) को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाला एवं बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-2774** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. **H-2774** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मोहित सिंहल ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता मोहित सिंहल को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/713 दिनांक 08.05.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं0 एलएस/1231/एक्ट/2023/1281 दिनांक 12.04.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (ईण्डाना) सबस्टेण्डर्ड, कोन्ट्रावेन्स व मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया है। उक्त प्रकरण में ऊपर अंकित अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड, कोन्ट्रावेन्स व मिसब्राण्ड घी (ईण्डाना) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(।।) व 2(v) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51,52 व 58 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा नोटिस का जवाब पेश कर प्रकरण में बहस करने का निवेदन किया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड, कोन्ट्रावेन्स व मिसब्राण्ड प्रकृति का खाद्य पदार्थ घी (ईण्डाना) का विक्रय/निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

धारा 2 (ii) व 2(v) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्तगण द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्ति की निर्धारित योग्यता नहीं रखने के कारण नमूने की कार्यवाही अवैध है। प्रार्थी के उत्पाद में कोई कमी नहीं है। अन्त में अभियुक्तगण ने प्रकरण में न्यूनतम शास्ति राशि लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं0 एलएस/1231/एक्ट/2023/1281 दिनांक 12.04.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (ईण्डाना) सबस्टेण्डर्ड, कोन्ट्रावेन्स व मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) व 2(v)) पाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा जवाब में दिये तर्क मान्य नहीं है। क्योंकि अभियुक्तगण को यदि उत्पाद की जयपुर की लेब रिपोर्ट पर जो भी संदेह था तो उसकी रेफरल लेब में तत्समय ही जांच करवाना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं करवाई गई। अतः अब प्रकरण में बहस के समय लेब रिपोर्ट की गुणवत्ता पर संदेह करना सही नहीं है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के नियम 51,52 एवं 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है। चुकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ Ghee (Indana Brand) 500 ml का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51,52 एवं 58 के अन्तर्गत अभियुक्तगण पर संयुक्त रूप से 50,000/–रू0 (अक्षरे पचास हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **19.07.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर